राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्रवण बनाम छीतर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	574/2018, 919/2018, 718/2018 सागर बनाम छीतरमल	
20/11/2025	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस तीनो अपील पत्रावलीयो पर सुनी गयी | पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 03/12/2025 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
03/12/2025	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व कैम्प बिचपडी में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14/06/2017 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि नया खाता संख्या 14 पुराना खाता संख्या 13, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, नया खाता संख्या 31 पुराना खाता संख्या 29, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, नया खाता संख्या 32 पुराना खाता संख्या 30 खसरा नम्बर 207 रकबा 0.6800 हैक्टेयर पर उभयपक्षों की उपस्थिति में मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28/06/2018 पारित की गयी, जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14/06/2017 के विरुद्ध अपील संख्या 919/2018 उनवानी श्रवण बनाम छीतर एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28/06/2018 के विरुद्ध अपीले क्रमश:- 574/2018 उनवानी श्रवण बनाम छितर एवं 718/2018 उनवानी सागर बनाम छीतरमल इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावलीयो पर सुनी गयी | चूँकि तीनो अपीले एक ही वाद में पारित निर्णय व डिक्रीयो के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे पक्षकारान भी समान है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से तीनो अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति दोनों अपील पत्रावलीयो पर सलग्न की जावे | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री अवलोकन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	श्रवण बनाम छीतर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/8/18	574/2018, 9/9/2018 सागर बनाम छीतरमल	

किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश प्रदान करते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये, जिसमे कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत जाहिर होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14/06/2017 में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है | जहाँ तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री का प्रश्न है तो अन्तिम निर्णय व डिक्री के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री एवं कुर्रेजात प्रस्ताव का अवलोकन किये जाने से उसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होती है | अपीलार्थी द्वारा तकनीकी बिन्दु उद्धरित करते हुये अन्तिम डिक्री को चुनौती दी गयी है जबकी कृषि जोत के सन्दर्भ में विभाजन एक आवश्यक व अनिवार्य प्रक्रियां है एवं तकनीकी बिन्दु के आधार पर सहखातेदारान के मध्य हुये विभाजन से उन्हें वंचित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन उचित प्रतीत होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28/06/2018 को यथावत रखा जाता है | तदनुसार अपील संख्या 915/2018 व 574/2018 एवं 718/2018 अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 03/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर